न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/05/2025 रजू दिनांकः 08.01.2025 रजि0 न0 2025/5

अपीलार्थीः–

श्री सोनू शर्मा, निवासी जैन मन्दिर के पास, समूची रोड़, खेरली, तहसील कठूमर, जिला अलवर 3021606 (राजस्थान)।

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर (राजस्थान)

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 21.01.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 13.11.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 14.01.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्रांक लो.सू.अ/प्रथम अपील/2025/67 दिनांक 16.01.2025 प्रेषित कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांक 13.11.2024 के माध्यम से रिषिचानी कुटी, सैनी मौहल्ला, गोविन्दगढ (अलवर) स्थित आंगनबाडी सेन्टर के संबंध में बिन्दुवार सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी। वांछित सूचना इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण, मूल RTI आवेदन कार्यालय पत्रांक लो.सू.अ./अन्तरण/2024/2233–34 दिनांक 27.11.2024 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत **उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर को अन्तरित किया जा चुका है** जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, साथ ही अनतरित–पत्र प्रति अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ नत्थीबद्व कर संलग्न की गई है। उप निदेशक, महिला एवं **बाल विकास विभाग, अलवर का प्रथम अपीलीय कार्यालय यह लोक प्राधिकरण नहीं है।** अपीलार्थी अग्रिम जानकारी संबंधित कार्यालय से प्राप्त करे अथवा प्राप्त नहीं होने पर उनके ज्येष्ठ पंक्ति के वरिष्ठ अधिकारी के संबंध में अपने स्तर पर जानकारी प्राप्त कर संबंधित को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत करें, अपील माननीय न्यायलय में श्रवण योग्य नहीं है, साथ ही इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर अपील के अनुक्रम में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि वांछित सूचना इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण, मूल RTI आवेदन कार्यालय पत्रांक लो.सू.अ./अन्तरण/2024/2233–34 दिनांक 27.11.2024 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर को अन्तरित किया जा चुका है तथापि प्रत्यर्थी द्वारा जरिये प्रतिलिपि पत्रांक सम/68–69 दिनांक 16.01.2025 के द्वारा पूर्व प्रेषित सूचना की छायाप्रति अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानानुसार विनिश्चय कर सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)